(10) 37

माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा
प्रकरण/पुनरीक्षण कमांक ....

अनुलेखित/विलोपित — विलोपित/विलोपित

दस रुपये TEN RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

स्वतः Rs-30/-

राम विशाल जायसवाल पिता स्व0 सूर्य प्रसाद जायसवाल, निवासी ग्राम सखौहॉं, तहसील माड़ा, जिला सिंगरौली (म0प्र0) ....**निगरानीकर्ता/आवेदक**

5535/II/16

बनाम

1. शासन म0प्र0
2. मुस0 अमारू बेवा पत्नी जनकलाल शाहू
3. राजलाल
4. माधव
5. सियाराम — चारों के पिता स्व0 जनकलाल शाहू
6. सीताशरण
7. मेवालाल पिता स्व0 बंधू शाहू

सभी निवासी ग्राम सखौहॉं, तहसील माड़ा, जिला सिंगरौली (म0प्र0)

..............................**गैर निगराकार/अनावेदकगण**

निगरानी (पुनरीक्षण) विरुद्ध आदेश अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली, प्रकरण कमांक 43/ए–5/15–16 आदेश दिनांक 19.02.16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 ई0

मान्यवर,

मामले का विषय संक्षिप्त में,

आवेदक द्वारा ग्राम सखौहॉं, प0ह0 सखौहॉं वृत्त अमिलिया, तह0 (वर्तमान में)माडा के अन्तर्गत स्थित भूमि पुराना ख.क. 747 से निर्मित नवीन ख.क. 227/0.41 हे0 के नक्शा सुधार (संशोधन) हेतु आवेदन अन्तर्गत धारा 107(5) म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959, कलेक्टर जिला सिंगरौली के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

कलेक्टर महोदय द्वारा तहसीलदार माड़ा से स्थल जांच प्रतिवेदन आहूत किया गया। तहसीलदार माड़ा द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त अमिलिया एवं हल्का पटवारी से स्थल जांच प्रतिवेदन मय स्थल पंचनामा, प्रस्ताव संशोधन प्राप्त किया जाकर,

न्यायालय के आदेश दिनांक 20.7.017 के परिपालन में मृतक के वारिसों का नाम प्रतिस्थापित किया।

[signature]
27/2/018

1- प्रिय दास उम्र 28 वर्ष
2- प्रिय दास, उम्र 26 वर्ष } पिता स्व० राम विशाल [illegible]

दोनों निवासी ग्राम सरकोहाँ [illegible] तह० [illegible], जिला सिंगरौली (म०प्र०)

3 सुशीला पुत्री राम विशाल [illegible] (विवाहित) पत्नी प्रेम शंकर [illegible] हाल मुकाम ग्राम पिपरी, तहसील दुद्धी, जिला सोनभद्र (उ०प्र०)

न्यायाल[illegible]
21.12.[illegible]

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R5535- II/16 जिला– सिंगरौली

रामविशाल जयसवाल/ म0प्र0 शासन, अमाररू

(1)	(2)	(3)
05-8-19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम बिहारी त्रिपाठी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 43/अ5/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 19.02.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	